(132)

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 04.06.2014

कार्यवाही विवरण

दिनांक 04 जून 2014 को अपरान्ह 2.00 बजे 'इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के सेमिनार हॉल नं. 101 में शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रबन्ध बोर्ड की प्रथम बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:–

उपस्थित

1.	डा. विमलेश चौधरी मा. कुलपति	अध्यक्ष
2.	मा. श्री बंशीधर बाजिया विधायक	सदस्य
3.	मा. श्री गोरधन वर्मा विधायक	सदस्य
4.	श्री मधुकर गुप्ता संभागीय आयुक्त	प्रमुख शासन सचिव, वित, के प्रतिनिधि
5.	श्री वेंकटरमणी	प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) के प्रतिनिधि
6.	श्री सी. बी. गैना	विख्यात् शिक्षाविद्
7.	श्री डी. सी. जैन	विख्यात् शिक्षाविद्
8.	श्रीमती कमला, कुलसचिव	सदस्य सचिव

नोटः– डॉ. पैथे अभय मोरेश्वर, मुंबई (महाराष्ट), श्रीमती राजश्री नागाराजु, बेलगाम (कर्नाटक) तथा आयुक्त एवं निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर बैठक में सम्मिलित नहीं हुए।

बैठक को प्रारम्भ करने से पूर्व माननीया कुलपति महोदया द्वारा माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, भारत सरकार श्री गोपीनाथ मुण्डे, के असामयिक निधन पर सदन में शोक अभिव्यक्ति करते हुए कहा कि यह राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उपस्थित सभी सदस्यगणों द्वारा दो मिनट का मौन रख कर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की गई, तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

श्रीमती कमला, कुलसचिव (शेखावाटी विश्वविद्यालय) एवं सदस्य सचिव, ने माननीया कुलपति को प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों के स्वागतार्थ सम्बोधन हेतु निवेदन किया।

Agenda Item NO-1:Welcome - Address by hon'ble Vice-Chancellor:-

मा. कुलपति महोदया एवं सभापति, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बोर्ड के सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का प्रथम बैठक में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया।

मा. कुलपति महोदया ने अपने स्वागत उद्‌बोधन में प्रबंध बोर्ड को जानकारी दी कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की स्थापना सन् 2012 में की गयी थी तथा महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने उनका कुलपति के पद पर पदस्थापन दिनांक 18 जून 2013 को किया था। विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार "प्रबन्ध बोर्ड" में 19 सदस्य होने चाहिए, किन्तु वर्तमान में 11 सदस्य ही नियुक्त हुए हैं। शेष सदस्यों की नियुक्ति क्षेत्राधिकार दिये जाने एवं शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिनियम अनुसार कर दी जावेगी। बैठक में कोरम पूर्ण होने के लिए 07 सदस्यों की आवश्यकता होती है जब कि इस बैठक में कुल 08 सदस्य उपस्थित हो जाने से बैठक के आयोजन हेतु कोरम पूर्ण हो गया है।

श्री धर्म चन्द जैन ने कहा कि राज्य सरकार से शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को अति–शीघ्र कार्य क्षेत्र (Jurisdiction) मिलना चाहिए, ताकि शैक्षणिक वर्ष 2015 की परिक्षायें यहाँ पर आयोजित हो सके और होनी ही चाहिए। इस बाबत राज्य सरकार को लिखा जाना चाहिए, और इस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी।

Agenda Item No.-2: Progress Report of Shekhawati University, Sikar till May 2014:

कुलसचिव, शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड ने मई 2014 तक इस विश्वविद्यालय द्वारा किए गये कार्यों का प्रगति विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया ।

Resolution: प्रगति विवरण में विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह (Logo) पर श्री मधुकर गुप्ता ने सुझाव दिया कि भविष्य में विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह (Logo) की अच्छी गुणवत्ता तैयार करने हेतु खुली प्रतियोगिता आयोजित करवाकर प्रतीक चिन्ह (Logo) बनवाया जावे, जिसमें शेखावाटी की झलक भी होनी चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालय के विजन स्टेटमेंट (Vision Statement) हेतु भी खुली प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु सुझाव दिया।

सदन ने उपरोक्त दोनों सुझावों के साथ प्रगति–विवरण की सराहना करते हुए अनुमोदित किया।

Agenda Item No-3: Recruitment of Non-Teaching (Officers) and subordinate Ministerial/ Supporting Staff:

कुलसचिव, शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों को भरने हेतु प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया तथा यह भी निवेदन किया कि मा. कुलाधिपति/मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव(उच्चशिक्षा)/प्रमुख शसन सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा समय समय पर ली गई बैठकों में यह निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालयों को कार्यक्षेत्र (Juristiction) देने से पूर्व स्वीकृत रिक्त पदों को भरना एवं विश्वविद्यालय हेतु Infrastructure तैयार करना अति आवश्यक है। "This is the utmost need of the University".

Resolution: विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचरियों के नियुक्ति प्रस्ताव पर प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में चर्चा की गयी। श्री मधुकर गुप्ता ने सुझाव दिया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पदों की स्वीकृति जारी की गई थी, अब नई सरकार का गठन हो गया है, अतः अब राज्य सरकार को पत्र लिखकर पुनः अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। इस संबंध में डॉ0 वेंकट रमणी, संयुक्त शासन सचिव (प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा) के प्रतिनिधि, ने अवगत करवाया कि वर्तमान में आवटित पद प्लान बजट के है। श्री गुप्ता ने पुनः सरकार को पत्र लिखकर अनुमति लेने हेतु सुझाव दिया। माननीय विधायक श्री बंशीधर बाजिया एवं गोरधन वर्मा द्वारा भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर अनुमति प्राप्त करने का सुझाव का समर्थन किया गया। इस पर मा. कुलपति महोदया द्वारा सदन को अवगत करवाया कि रिक्त पद राज्य सरकार द्वारा प.क. (5) शिक्षा–4/2012 दिनांक 04.09.2012 द्वारा स्वीकृत किये गये थे। राज्य सरकार द्वारा पदों को भरने हेतु अथक प्रयास की कड़ी में विश्वविद्यालय ने प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा को पत्र लिखा, इसके प्रत्युत्तर में संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा ने अपने पत्र कमांक F26(1) शिक्षा 4/2013 दिनांक 10.09.2013 के बिन्दू सं. 3 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया। इसी कम में अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र मांगें जा चुके हैं। राज्य सरकार ने भी वर्ष 2013–14 के एवं 2014–15 (चार माह) का उपरोक्त स्वीकृत पदों के हिसाब से वेतन दिया है। इस पर श्री गुप्ता द्वारा सदन को अन्तरिम बजट की जानकारी दी गई। मा0 विधायक श्री बंशीधर बाजिया एवं गोरधन वर्मा द्वारा कहा गया कि हम यह चाहते है कि पुनः विज्ञप्ति जारी की जावें जिसमें पूर्व आवेदनकर्ताओं को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु उनकी योग्यता/सेवा शर्तें, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं U.G.C. के समकक्ष ही रखी गयी हैं। श्री गुप्ता ने सुझाव दिया कि साक्षात्कार से पूर्व, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं यू.जी.सी. के नियमानुसार पदो के संबंध में योग्यताओं की पुनः जांच कर ली जावें, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहे। श्री धर्म चन्द जैन ने कहा कि अधिकारियों के पदों की योग्यताएँ/सेवा शर्तें U.G.C. एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुसार ही हैं तथा वर्तमान में कम्प्यूटर की उपयोगिता को देखते हुए अच्छी गुणवत्ता हेतु Dy. Reg./Asstt. Reg. के पदों हेतु Desirable में Computer Knowledge, Net working and Management skill (e.g. Supervision, Controll and Planning) रखने के लिए सभी सदस्यों ने इसकी सराहना करते हुए अधिकारियों की योग्यता को अनुमोदित किया।

Ministerial/Supporting Staff:

शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारियों के विज्ञापित रिक्त पदों को भरने हेतु उनकी योग्यता/सेवाशर्तें राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं राज्य सरकार के समकक्ष रखी गई है। इन पदों को भरने से पूर्व योग्यताओं की पुनः जॉच कर ली जावें, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहे।

Agenda Item No.4:- Building/Boundary wall of University:

राज्य सरकार द्वारा क्षैत्राधिकार देने से पूर्व Infrastructure तैयार करने हेतु प्रत्येक मिटिंग में निर्देश दिये गये। इस बाबत इस Agenda पर चर्चा हेतु प्रस्ताव बोर्ड सदस्यों के सम्मुख रखा गया।

Resolution: प्रबन्ध बोर्ड के सभी सदस्यों ने भवन एवं चार दीवारी निर्माण के सबंध में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये व्यय को सही ठहराया। श्री धर्म चन्द जैन ने विश्वविद्यालय को आवंटित मात्र 30 एकड़ जमीन को काफी कम बताया। कुलपति महोदया ने इस संबंध में अतिरिक्त जमीन आवंटन हेतु जो प्रयास किये उससे सदन को अवगत कराया और बताया कि विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि से सटी खाली पड़ी सार्वजनिक भूमि का नक्शा प्राप्त कर उसे पटवारी से नपती करा कर सरकार को आवंटन हेतु आवेदन किया गया, इसी कम में सरकार द्वारा कलेक्टर, सीकर को उक्त भूमि का Presence Status से अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं, प्रयास जारी हैं। मा0 विधायक श्री गोरधन वर्मा, ने अतिरिक्त भूमि आंवंटन कराने संबंधी जिम्मेदारी लेने की बात कही जिससे मा0 विधायक श्री बाजिया ने सकिय सहयोग करने की सहमति दी। श्री गुप्ता ने भी उक्त जमीन के संबंध में जिला कलक्टर, सीकर से वार्ता कर सहयोग करने का आश्वासन दिया और सुझाव दिया कि मोदी महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़, सीकर की तर्ज पर विश्वविद्यालय की चार दीवारी पर मात्र दो फीट की दीवार मय छः फीट की लोहे के एंगल की फेसिंग कर बनाकर व भवन निर्माण में शेखावाटी अंचल की शैली परिलक्षित हो, का भी ध्यान रखा जावे ताकि विश्वविद्यालय की सुन्दरता बढ़े।

Agenda Item No-5: Budget Outlay till May 2014

कुलसचिव, शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ने वर्ष 2013–14 का बजट व्यय मई 2014 तक का प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा।

Resolution: आवंटित बजट 2013–14 में से अब तक किये गये व्यय को सदन ने स्वीकृति प्रदान की।

Agenda Item No-6: Purchase of Vehicle

कुलसचिव, शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ने विश्वविद्यालय के कार्यो को त्वरित गति देने हेतु एक वाहन खरीदने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के सम्मुख रखा।

बोर्ड के सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय में एक और वाहन खरीदे जाने को सदन ने अस्वीकार करते हुए सुझाव दिया कि वर्तमान में वाहन क्रय करने की प्रासंगिकता नहीं है। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर किराये का वाहन ले सकते हैं। (श्री गुप्ता ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय ने जो वाहन खरीद लिये/खरीदने हैं उनकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जावे)

Building on Rent

कुलसचिव, शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ने विश्वविद्यालय को क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मिल जाने के उपरांत वर्तमान भवन को अपर्याप्त मानते हुए इस कार्यालय के आस–पास भवन किराये पर लेने हेतु प्रस्ताव प्रबंध बोर्ड के सम्मुख रखा।

Resolution: सदन के सभी सदस्यों ने सुझाव दिया कि आवश्यकतानुसार उपयुक्त भवन की तलाश कर किराये पर प्राप्त करने की कार्यवाही करें।

F 1-5 / (137)

Sitting Charges

कुलसचिव, शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर ने प्रबंध बोर्ड के सदस्यों/चयन समिति/नॉन यूनिवर्सिटी मेम्बर्स/एक्सपर्टस ऑफ अदर कमेटीज आदि को बैठक के लिए सिटिंग चार्जेज के रूप में रुपये 2000/- (अक्षरे दो हजार रूपये) राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुसार स्वीकृति का प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा।

Resolution: उपरोक्त उल्लेखित प्रस्ताव का सदन ने अनुमोदन किया।

सदस्यों के सुझाव:

अंत में मा0 सदस्यों ने विश्वविद्यालय हेतु निम्नांकित सुझाव विचारार्थ दिए–

1. श्री धर्मचंद जैन ने सुझाव दिया कि
   (i) विश्वविद्यालय का कार्य UGC के नियमानुसार राजभाषा हिन्दी में किया जावे।
   (ii) विश्वविद्यालय के पाठयक्रम में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप राजस्थानी एवं मिलिट्री साईन्स (Military Science) इत्यादि विषय आवश्यक रूप से सम्मिलित किये जावें।
   (iii) किराये के भवन में विश्वविद्यालय द्वारा स्थाई प्रकृति का कार्य नहीं करवाया जाना चाहिए।
2. भवन का निर्माण तकनीकी पर्यवेक्षक की देखरेख में करवाया जावें।
3. विश्वविद्यालय भवन का नक्शा बनवाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावें।

अंत में सभी आगन्तुक मा0 सदस्यों का कुलपति महोदया द्वारा आभार व्यक्त कर बैठक की कार्यवाही का सधन्यवाद समापन किया गया।

कुलसचिव

Chaudhary

कुलपति